न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO 2022/32

अपील संख्या – 20/22

1. नबाब पुत्र ईस्माईल(मृतक)
1/1. उस्मान
1/2. अहसान
1/3. सलाम
1/4. लुकमान
1/5. हमीदन पत्नि नबाब
1/6. शकीला
1/7. अकीला
1/8. वकीला
1/9. तंजीला पुत्रियान नबाब
2. रहमत पुत्र इस्माईल
3. गुलाब पुत्र धुन्धी
4. रसीद पुत्र धुन्धी (मृतक)
4/1. शफी मोहम्मद
4/2. अली मोहम्मद
4/3. अली हुसैन
4/4. जाकिर हुसैन
4/5. अलताफ हुसैन
4/6. आसिल अली पुत्रान रसीद
4/7. शाबूना पत्नि रसीद
4/8. भुत्तो
4/9. लाली पुत्रियां रसीद समस्त जातियान मुसलमान निवासीयान पावटा गददी तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. नूर मोहम्मद पुत्र जुम्मन खां (मृतक)
1/1. लियाकत अली
1/2. शोबत अली
1/3. वहीद पुत्रान नूर मोहम्मद समस्त जातियान मुसलमान निवासीयान पावटा गददी तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर
2. बैंक आफ बडौदा शाखा वजीरपुर जरिये मैनेजर
3. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर

रेस्पो0

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:48:58 IST
Reason: SelfAttested

(अपील विरूद्व मु0नं0 154/99 निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.99 ... कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री शिवचरण सोनी
अभिभाषक रेस्पो0 श्री जगदीश प्रसाद शर्मा

दिनांक 12.05.25

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.99 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 नूर मोहम्मद द्वारा दावा घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि रामस्वरूप पुत्र मंगलराम महाजन पावटा को एकीकरण ख0न0 191 मे 12 विस्वा भूमि नियमन हुई थी। जिसका नवीन खसरा न0 1003/2082 रकवा 14 ऐयर कायम हुआ। यह भूमि वादी ने 2.3.89 को रामस्वरूप से कय कर ली तभी से इस भूमि पर वादी का कब्जा चला आ रहा है । इस भूमि के कुछ हिस्से पर वादी के मकान बने हुए है। रामस्वरूप का पूर्व मे जो कब्जा था वह प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि एकीकरण खसरा न0 161 रकबा 1 बीघा 11 विस्वा के बिलकुल सटवा था लेकिन सेटलमेट वालो ने गलत रूप से वादी की खातेदारी को गलत रूप से सिवायचक भूमि हाल ख0न0 1003 मे बढा दिया है तथा प्रतिवादीगण को वादी की खातेदारी की भूमि एकीकरण ख0न0 191 मे दर्ज कर दिया व 1003/2082 को एकीकरण ख0न0 191 के ही हाल ख0न0 1003 मे खिसका दिया । सेटलमेंट विभाग ने गलत रूप से प्रतिवादीगण के एकीकरण खसरा न0 161 से बने हाल ख0न0 169,170 कुल रकबा 46 ऐयर का 8 ऐयर रकबा बढा दिया है यह 8 ऐयर रकबा वादी की खातेदारी एकीकरण ख0न0 191 का ही हिस्सा है जिसमे प्रतिवादीगण का कोई वास्ता नही है परन्तु प्रतिवादीगण इस पर जबरन कब्जा करना चाहते है। प्रतिवादी न0 1 व 2 द्वारा वादी की खातेदारी की भूमि के 8 ऐयर रकबे को भी गलत रूप से प्रतिवादी न0 5 के यहॉ रहन कर दिया है। इस प्रकार वादी की खातेदारी की भूमि एकीकरण ख0न0 191/1 रकबा 12 विस्वा के हाल ख0न0 1003/2082 को मिलान क्षेत्रफल मे 119 की बजाय 191/1 से बनाया जावे । प्रतिवादी 1 ता 4 की भूमि एकीकरण खसरा न0 161 के हाल नम्बर 169,170 मे से 8 ऐयर रकबा उत्तर की और वादी को दिलाया जावे तथा दक्षिण की और से 8 ऐयर रकबा हाल ख0न0 1003/2082 मे से निरस्त कर ख0न0 1003 सिवायचक मे दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे इस रकबे के कब्जे काश्त मे वादी को बाधा उत्पन्न नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 नूरमोहम्मद(मृतक) द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो0 का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Bairot
Date: 2025.10.10 13:48:58 IST
Reason: Self Attested

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री [illegible] ही एक तरफा मे पारित किया गया है जो मन्सूख किये जाने योग्य है। अपीलांट संख्या [illegible] नबाब की मृत्यु हो गई है उसके वारिसान एवं उत्तराधिकारी 1/1 लगायत 1/9 अपीलांट है तथा अपीलांट संख्या 4 रसीद की

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

मृत्यु हो गई है उसके वारिस एवं उत्त्राधिकारी अपीलांट 4/1 लगायत 4/9 है। रेस्पो0 संख्या 1 की मृत्यु हो गई है उसके वारिस एवं उत्तराधिकारी रेस्पो0 संख्या 1/1 लगायत 1/3 है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.6.99 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी संख्या 6 के विरूद्व दिनांक 17.12.99 को एक तरफा कार्यवाही की गई है जो तामिल कुन्नदा वादी से मिलकर ही गई गलत रिपोर्ट पर एक तरफा कार्यवाही की गई जबकि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ग्राम पावटा गददी मे ही रहते है। इस प्रकार एक तरफा मे किया गया निर्णय एवं डिकी निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने वाद वादी डिकी किया जाकर खसरा न0 170 रकबा 35 ऐयर ग्राम पावटा गददी मे से 8 ऐयर रकबा उत्तर दिशा की और का वादी को खातेदार घोषित किया है एवं खसरा न0 1003/2082 रकबा 14 ऐयर मे से 8 ऐयर रकबा दक्षिण की और का सिवायचक घोषित किया है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जाकर पर्चा डिकी जारी की गई है। उक्त निर्णय व डिकी बिना तहसीलदार एवं गिरदावर की रिपोर्ट प्राप्त किये ही जारी की गई है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। जबकि उक्त आराजीयात पर अपीलांट का तथा अपीलांट से पूर्व अपीलांट के बुजुर्ग का कब्जा काश्त चला आ रहा है जो लगभग 60 वर्षो से अधिक का कब्जा काश्त है तथा वर्तमान मे भी अपीलांट ही काश्त कर रहे है एवं खातेदार काश्तकार है। अपीलांट की उक्त आराजीयात पर रेस्पो0 द्वारा दिनांक 13.9.21 को जबरन कब्जा करने लगे तब अपीलांट ने उनसे आराजीयात पर जबरन कब्जा करने की मना करने पर उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दी गई। इस प्रकार निर्णय व डिकी की जानकारी होने पर नकल आदि कागजात प्राप्त कर अपील जानकारी के आधार पर धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है। इस प्रकार अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार मानी जाकर अपीलं अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस मे तर्क दिया कि रामस्वरूप पुत्र मंगलराम महाजन पावटा को एकीकरण ख0न0 191 मे 12 विस्वा भूमि नियमन हुई थी। जिसका नवीन खसरा न0 1003/2082 रकबा 14 ऐयर कायम हुआ। यह भूमि रेस्पो/वादी ने 2.3.89 को रामस्वरूप से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र कय की गई है तभी से इस भूमि पर रेस्पो/वादी का कब्जा चला आ रहा है । इस भूमि के कुछ हिस्से पर रेस्पो/वादी के मकान बने हुए है। पूर्व खातेदार रामस्वरूप का पूर्व मे जो कब्जा था वह अपीलांट/प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि एकीकरण खसरा न0 161 रकबा 1 बीघा 11 विस्वा के बिलकुल सटवा था लेकिन सेटलमेट वालो ने गलत रूप से रेस्पो/वादी की खातेदारी को गलत रूप से सिवायचक भूमि हाल ख0न0 1003 मे बढा दिया है तथा अपीलांट/प्रतिवादीगण की रेस्पो/वादी की खातेदारी की भूमि एकीकरण ख0न0 191 मे दर्ज कर दिया व 1003/2082 को दर्ज कर ख0न0 191 के ही हाल ख0न0 1003 मे खिसका दिया । सेटलमेंट विभाग ने गलत रूप से अपीलांट/प्रतिवादीगण के एकीकरण खसरा न0 161 से वने हाल ख0न0 169,170 कुल रकबा 46 ऐयर का 8 ऐयर रकबा बढा दिया है यह 8 ऐयर रकबा रेस्पो/वादी की खातेदारी एकीकरण ख0न0 191 का ही हिस्सा है जिसमे अपीलांट/प्रतिवादीगण का कोई वास्ता नही है परन्तु अपीलांट/प्रतिवादीगण इस पर जबरन

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:48:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

कब्जा करना चाहते है। प्रतिवादी न0 1 व 2 द्वारा वादी की खातेदारी की भूमि के 8 ऐयर रकबे को भी गलत रूप से प्रतिवादी न0 5 के यहॉ रहन कर दिया है। सेटलमेंट द्वारा की गई गलती को दुरूस्त कराने का रेस्पो/वादी अधिकारी होने से ही अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र पेश किया गया था। अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा बाबजूद सूचना के अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड नामा0 दिनांक 22.4.72 प्रदर्श 1, नकल जमाबंदी सम्वत 2052–2055 प्रदर्श 2, नकल जमाबंदी सम्वत 2026 से 2029 प्रदर्श 3, नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 4, नकल हाल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 5, नकल साबिक नक्शा ट्रेस प्रदर्श 6, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 7 का अवलोकन किये जाने एवं वादी का वाद पत्र राजस्व रिकार्ड से सिद्व होने पर स्वीकार किया गया है। विवादित आराजीयात पर अपीलांट/प्रतिवादीगण का कभी कब्जा काश्त नही रहा है। भूमि पर आज भी रेस्पो/वादीगण का कब्जा काश्त है। उक्त भूमि का रेस्पो/वादी सदभाविक क्रेता है जिसको क्रय के समय से ही काश्त करता चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा उक्त आराजीयात पर कब्जा होने के संबंध मे किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे उनका कब्जा सिद्व हो सके। अपींलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.99 के विरूद्व लगभग 22 वर्ष पश्चात पेश की गई है। प्रस्तुत अपील मियाद बाहर पेश की गई है। अपील पेश करने मे हुए बिलम्व के संबध मे कोई ठोस कारण का उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मे भी नही किया गया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं मियाद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि एकीकरण खसरा न0 191 रकबा 12 बीघा 4 विस्वा मे से 12 विस्वा भूमि रामस्वरूप पुत्र मंगलराम जाति महाजन ग्राम पावटा गददी को नियमन हुई थी। जिसे रामस्वरूप पुत्र मंगलराम जाति महाजन द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 2.3.89 को वादी/रेस्पो0 नूरमोहम्मद को विक्रय किया गया है। रेस्पो0 अधिवक्ता का कथन रहा कि सेटलमेंट विभाग द्वारा रेस्पो/वादी की खातेदारी की भूमि को एकीकरण खसरा न0 119 से बनना दर्ज कर दिया तथा गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर ख0न0 1003 मे बढा दिया तथा प्रतिवादी को वादी की खातेदारी की भूमि एकीकरण खसरा न0 191 मे दर्ज कर दिया व 1003/2082 को एकीकरण ख0न0 191 के हाल खसरा न0 1003 मे खिसका दिया। इस प्रकार सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत रूप से अपीलांट के एकीकरण खसरा न0 161 से बने हाल खसरा न0 169 व 170 का कुल रकबा 46 ऐयर का 8 ऐयर रकबा बढा दिया। यह रकबा 8 ऐयर रेस्पो0 की खातेदारी एकीकरण ख0न0 191 का ही हिस्सा है। जिसे प्राप्त करने का वादी/रेस्पो0 अधिकार रखता है। इस पर अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि यदि वादी/रेस्पो0 की आराजीयात कम हुई है या गलत रूप से अपीलांट की खातेदारी मे दर्ज हुई है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुना जाकर विवादित आराजीयात की पुर्व एवं वर्तमान की मौके की रिपोर्ट प्राप्त की जाकर अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करना चाहिए। जो उनके द्वारा नही कर केवल मात्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:48:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

वादी/रेस्पो0 की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर निर्णय व डिक्री पारित की गई है। एक पक्षीय निर्णय पारित होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी समय पर नही हो सकी। इसी कारण अपील पेश करने मे बिलम्व हुआ है। इस प्रकार अपील जानकारी के आधार पर अन्दर मियाद धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है। अपील पेश करने मे हुए बिलम्व को डिले कण्डोन किया जाना उचित है। क्योकि मियाद के आधार पर किसी खातेदार के अधिकारो का हनन नही किया जा सकता है। इसी प्रकार अपीलांट भूमि खसरा न0 170 रकबा 35 ऐयर भूमि का रिकार्डेड खातेदार है जो जमाबंदी (खतौनी) सम्वत 2052 से 2055 से स्पष्ट है। किसी रिकार्डेड खातेदार बिना सुने उसकी आराजीयात मे से रकबा कम या ज्यादा नही किया जा सकता । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र वादी/रेस्पो0 को एक पक्षीय बहस सुनी जाकर अपीलांट की भूमि खसरा न0 170 रकबा 35 ऐयर मे से 8 ऐयर भूमि कम की गई है। जबकि किसी रिकार्डेड खातेदार को बिना सुने उसकी खातेदारी की आराजीयात मे किसी प्रकार का कोई फेरबदल करने का कानूनी अधिकार नही होता है। साथ ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र मे विना तनकीयात कायम किये ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है। उक्त विवेचन से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को विवादित आराजीयात की कब्जे एवं मौके की रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःनिर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 154/99 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.99 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे विवादित आराजीयात की कब्जे एवं मौके की रिपोर्ट प्राप्त की जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के यहॉ दिनांक 16.6.25 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 12.05.25 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:48:58 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर